न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 54/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/147

वादी	बनाम	प्रतिवादी
अशोकसिंह उर्फ गुड्डू पुत्र प्रतापसिंह उर्फ प्रताप जाति रावणा राजपूत निवासी मालाणी महादेव मंदिर के पास जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 2.अभिमन्यूसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 3.केसरदेवी पत्नि लक्ष्मणसिंह 4.गणपतसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 5.चन्द्रा पत्नि प्रताप उर्फ प्रतापसिंह 6.दीपसिंह पुत्र भंवरसिंह 7.नेमा पुत्र प्रताप उर्फ प्रतापसिंह 8.प्रकाश पुत्र प्रताप 9.पिन्टू पुत्र प्रताप 10.मिकादेवी उर्फ मंजू पत्नि भंवरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी भाखरी खेड़ा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री तखतसिंह नामा अधिवक्ता वादी
2. श्री जोबिन खां अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3,4,6,8 व 10
3. प्रतिवादी संख्या 1,2 व 5,7,9 एकपक्षीय।

:–निर्णयः–

दिनांक 16/9/2025

1.संक्षिप्त मे वाद–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम भाखरी खेड़ा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 8/6 रकबा 100 बीघा भूमि प्रताप पुत्र घुड़सिंह कौम रावणा राजपूत की खातेदारी मे अवस्थित थी। प्रताप पुत्र घुड़सिंह के फौत होने पर भरे गए फौतदगी नामान्तकरण मे घरेलू बोलचाल भाषा मे वादी का नाम गुडू दायर किया गया,जबकि वादी का वास्तविक नाम अशोकसिं पुत्र प्रतापसिंह है तथा इसी नाम से वादी के अन्य सरकारी दस्तावेजात बने हुए

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

है,लेकिन रिकॉर्ड मे अशुद्व नाम प्रविष्टि के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में दायर अशुद्व प्रविष्टि गुडू पुत्र प्रताप के स्थान पर सही नाम अशोकसिं पुत्र प्रतापसिंह इन्द्राज करवानें हेतु वाद–पत्र पेश किया गया है।

2.वादी का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया। प्रतिवादी के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी संख्या 3,4,6,8 व 10 की ओर से अधिवक्ता श्री जोबिन खां द्वारा वकालतनामा पेश किया तथा वादी के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी का अशुद्व नाम गुडू के स्थान पर अशोकसिंह दुरूस्त किए जाने पर सहमति दी गई। प्रतिवादी संख्या 1,2 व 5,7,9 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

3.प्रतिवादी की ओर से सहमति दिए जाने के कारण विवाद के बिन्दु निहित नहीं होने के कारण वादी के वाद–पत्र में वांछित अनुतोष को ही तनकीयात मानी गई। पक्षकारान अधिवक्ता की ओर से साक्ष्य नही करवाने के कारण साक्ष्य बंद की गई।

4.उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम भाखरी खेड़ा तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 8/6 रकबा 100 बीघा भूमि प्रताप पुत्र घुड़सिंह कौम रावणा राजपूत की खातेदारी मे अवस्थित थी। प्रताप पुत्र घुड़सिंह के फौत होने पर भरे गए फौतदगी नामान्तकरण मे घरेलू बोलचाल भाषा मे वादी का नाम गुडू दायर किया गया,जबकि वादी का वास्तविक नाम अशोकसिं पुत्र प्रतापसिंह है, इसी नाम से वादी के अन्य सरकारी दस्तावेजात बने हुए है,लेकिन रिकॉर्ड मे अशुद्व नाम प्रविष्टि के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। वादग्रस्त भूमि में वादी का वास्तविक नाम अशोकसिंह के स्थान पर गलत नाम इन्द्राज होने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम गुडू के स्थान पर अशोकसिंह इन्द्राज किए जाने के आदेश किए जावें।

5.प्रतिवादी संख्या 3,4,6,8 व 10 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 10 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। वादी व प्रतिवादी का अपने हक हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन वादग्रस्त भूमि में वादी का वास्तविक नाम अशोकसिंह के स्थान पर गुडू गलत इन्द्राज हो रखा है,जो दुरूस्ती किया जाता है,तो प्रतिवादी को आपति नहीं है।

6.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 10 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम भाखरीखेड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 103/8 क्षेत्रफल 16.1874 हैक्टयर अवस्थित है। जिसमें वादी का अशुद्व नाम गुडू पुत्र प्रताप इन्द्राज होना बताया है। जबकि वादग्रस्त भूमि प्रताप पुत्र घुड़सिंह कौम रावणा राजपूत सा.जसोल खातेदार की खातेदारी मे दर्ज थी,प्रताप के फौत होने पर फौतदगी नामान्तकरण संख्या 55 मे भरा गया,जिसमे उसके वारिसान मे वादी का नाम गुडू दायर हो रखा है,जो कि उक्त

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति अवलोकन से स्पष्ट है। इसके अलावा अन्य सरकारी दस्तावेजात राशन कार्ड प्रति,आधारकार्ड प्रति,वोटर कार्ड प्रति,चिंरजीवी कार्ड प्रति,बैक डायरी प्रतियो मे वादी का नाम अशोकसिंह पुत्र प्रतापसिंह अंकित है। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 3,4,6,8 व 10 ने वादी के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए वादी का वादग्रस्त भूमि मे अशुद्व नाम प्रविष्टि गुडू के स्थान पर अशोकसिंह किए जाने की सहमति प्रदान की गई है। इससे प्रमाणित होता है कि वादी का वादग्रस्त भूमि में अशुद्व प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है,जो वादी दुरूस्ती करवाने का हकदार है। इसके अलावा प्रशासक ग्राम पंचायत जसोल के पत्रांक 517/25.3.2025 के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार गुडडू व अशोक दोनो एक ही व्यक्ति है। वादी अपना वाद–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में वादी का वाद–पत्र स्वीकार योग्य है।

07.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि वादी वादग्रस्त भूमि में अपना अशुद्व नाम गुडू के स्थान पर अशोकसिंह दुरूस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:निर्णयः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–पत्र वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–भाखरी खेड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 103/8 क्षेत्रफल 16.1874 हैक्टयर भूमि मे वादी का अशुद्व नाम प्रविष्टि गुडू पुत्र प्रताप के स्थान पर अशोकसिंह उर्फ गुडू पुत्र प्रतापसिंह दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

16/09/2025
(अशोक कुमार)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 16/09/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

16/09/2025
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 54 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 147

वादी	बनाम	प्रतिवादी
अशोकसिंह उर्फ गुडडू पुत्र प्रतापसिंह उर्फ प्रताप जाति रावणा राजपूत निवासी मालाणी महादेव मंदिर के पास जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 2.अभिमन्यूसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 3.केसरदेवी पत्नि लक्ष्मणसिंह 4.गणपतसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 5.चन्द्रा पत्नि प्रताप उर्फ प्रतापसिंह 6.दीपसिंह पुत्र भंवरसिंह 7.नेमा पुत्र प्रताप उर्फ प्रतापसिंह 8.प्रकाश पुत्र प्रताप 9.पिन्टू पुत्र प्रताप 10.मिकादेवी उर्फ मंजू पत्नि भंवरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी भाखरी खेड़ा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

राजस्व वाद बाबतः–88 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :–16.9.2025

वादी की ओर से श्री तखतसिंह नामा अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 3,4,6,8 व 10 की ओर से श्री जोबिन खां अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,5,7,9 एकतरफा इस वाद में आज तारीख 16.9.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है** किः–वादी का वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम भाखरी खेड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 103 / 8 क्षेत्रफल 16.1874 हैक्टयर भूमि मे वादी का अशुद्व नाम प्रविष्टि गुडू पुत्र प्रताप के स्थान पर अशोकसिंह उर्फ गुडू पुत्र प्रतापसिंह दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह आज तारीख 16.9.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

16/09/2025

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4....रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	----	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	------
जोड़	–	जोड़	-----

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

16/09/...